रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 1990/वैशाख 6, 1912
No. 228] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 1990/VAISAKHA 6, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1990

का. आ. 355(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ दसवां संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये 23 अप्रैल, 1990 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(i) प्रथम अनुसूची में,—

(क) शीर्षक "14., मानव संसाधन विकास मंत्रालय" के अधीन उपशीर्षक "(V) महिला और बाल विकास विभाग" किया जाएगा।

(ख) शीर्षक "15. उद्योग मंत्रालय" के अधीन उपशीर्षक (IV) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(V) लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग"।

(ग) शीर्षक "31. कल्याण मंत्रालय" के अधीन निम्नलिखित उपशीर्षक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) कल्याण विभाग

(ii) महिला और बाल विकास विभाग";

(ii) द्वितीय अनुसूची में, —

(क) शीर्षक "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" के अधीन उपशीर्षक "(ड.) महिला और बाल विकास विभाग" और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ख) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(i) उपशीर्षक "क. औद्योगिक विकास विभाग" के अधीन प्रविष्टि 26, 27, 28, 38 और 39 का लोप किया जाएगा ।

(ii) अपशीर्षक "घ. लोक उद्यम विभाग" के अधीन प्रविष्टि 1. का लोप किया जाएगा ।

(iii) उपशीर्षक "घ. लोक उद्यम विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :–

"ड. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग–

1. लघु उद्योगों के विकास का समन्वय :—

(1) लघु उद्योग बोर्ड ।

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।

(3) उन स्थानों में जहां पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का भारी संकेन्द्रण है, नियोजन की व्यवस्था करने के लिए नए उद्योगों की स्थापना ।

2. ग्रामीण और कुटीर उद्योग ।

3. ग्रामीण उद्योगीकरण से संबंधित मामलों का समन्वय ।

4. कयर उद्योग ।

5. कयर बोर्ड";

(ग) शीर्षक "कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय" के अधीन प्रविष्टि 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"2. लोक उद्यम ब्यूरो, जिसमें औद्योगिक प्रबंध पूल भी सम्मिलित है ।"

(घ) शीर्षक "कल्याण मंत्रालय" और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कल्याण मंत्रालय

क. कल्याण विभाग

भाग–I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत आते हैं :—

1. दान सहायता प्रदायों/वस्तुओं की शुल्क-मुक्त प्राप्ति हेतु भारत-संयुक्त राज्य, भारत यूनाइटेड किंडम, भारत-जर्मनी, भारत-स्विटजरलैंड और भारत-स्वीडन करारों का प्रवर्तन और उनके अन्तर्गत आने वाले प्रदायों के वितरण से संबंधित मामले ।

भाग–II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत आता है (केवल विधान की बाबत) :—

2. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा उस विस्तार तक छोड़कर जहां तक वह अन्य विभाग को आबंटित है ।

भाग–III

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 या 3 के अन्तर्गत आते हैं जहां तक वे ऐसे राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं :—

3. निःशक्त और अनियोज्य व्यक्तियों की सहायता और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा से संबंधित उपाय, उस विस्तार तक छोड़कर जहां तक वे किसी अन्य विभाग को आबंटित हैं ।

भाग–IV

साधारण और पारिणामिक :–

4. समाज कल्याण : समाज कल्याण योजना, परियोजना बनाना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण ।

5. सामाजिक सुरक्षा से सम्बद्ध मामलों पर अन्य देशों के साथ अभिसमय और अपराध के निवारण तथा अपराधियों के प्रति व्यवहार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त निर्देश ।

6. जरूरतमंद बालकों की, जिनमें अनाथ बालक सम्मिलित हैं, देखभाल और विकास के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवायें तथा अनाथलय ।

7. शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्तों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण ।

8. शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विमंदित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान ।

9. राष्ट्रीय अन्ध केन्द्र, जिसमें केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय, देहरादून सम्मिलित हैं, व्यवस्क बधिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा आंशिक रूप से बधिर बालकों का विद्यालय, हैदराबाद, मानसिक रूप से विमंदित बालकों का माडल विद्यालय, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय संस्थान ।

10. सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ।

11. भिक्षावृत्ति, किशोर अवारागर्दी, अपजारिता और कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर के अन्य कार्यक्रम ।

12. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा ।

13. सामाजिक सुरक्षा के सभी मामलों पर अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, सूचना का आदान-प्रदान, और तकनीकी मार्गदर्शन जिसमें सुधारात्मक सेवायें सम्मिलित हैं ।

14. नशाबंदी संबंधी सभी मामले ।

15. मादक द्रव्य व्यसन के शिक्षा और समाज कल्याण से संबंधित पहलू ।

16. इस मंत्रालय को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

17. इस विभाग को आबंटित विषयों के संदर्भ में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास ।

18. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान ।

19. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर (एलिमको) ।

20. सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

21. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन :—

(क) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958, (1958 का 20); और

(ख) बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) ।

22. अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, निस्सूचित यायावर और अर्धयायावर जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग, जिनके अन्तर्गत ऐसी जातियों, जन-जातियों और वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां भी हैं ।

23. (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, पदत्याग, आदि, तथा

(ii) विशेषाधिकारी की रिपोर्ट ।

24. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास ।

टिप्पण : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए कल्याण मंत्रालय नोडीय मंत्रालय होगा । इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास स्कीमों के संबंध में नीति, योजना मानीटर करने, मूल्यांकन करने आदि और उनके समन्वय का भी उत्तरदायित्व सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का होगा । प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्र के लिए नोडीय मंत्रालय अथवा विभाग होगा ।

25. पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण करने के लिए आयोग की रिपोर्ट ।

26. (i) अनुसूचित क्षेत्र,

(ii) सड़कों और उन पर के पुल संकर्मों और पारघाटों को छोड़कर असम के स्वायत्तशासी जिलों में सम्बद्ध मामले, और

(iii) संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के साथ संलग्न सारणी के भाग "क" में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा विरचित विनियम ।

27. (i) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय में रिपोर्ट करने के लिए आयोग, तथा

(ii) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों की रचना और निष्पादन की बाबत निदेश जारी करना ।

28. (i) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, पदत्याग, आदि और

(ii) विशेष अधिकारी की रिपोर्ट

(iii) भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित सभी बातें

29. अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित सभी बातें

30. वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29)

31. निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) के अधीन वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य ।

32. दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 32) का प्रशासन ।

33. आंग्ल-भारतीय समाज के लिए प्रतिनिधित्व ।

ख. महिला और बाल विकास विभाग

1. कुटुम्ब कल्याण ।

2. स्त्री और बाल कल्याण और इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।

3. स्त्रियों और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त निर्देश ।

4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व के शिशुओं की देखभाल ।

5. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय ।

प्राविद्यालय बालकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा ।

6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

7. इस विभाग को आबंटित विषयों के संदर्भ में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास ।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

9. स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (1956 का 104) का प्रशासन ।

10. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) ।

11. कोआपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर के क्रियाकलापों का समन्वयन ।

12. महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित योजना, अनुसंधान मूल्यांकन, मानिटर करना, परियोजना बनाना, सांख्यिकी और प्रशिक्षण ।

13. संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि (यूनिसेफ) ।

14. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के.स.क.बो.) ।

15. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान" ।

रामस्वामी वेंकटरामन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/99-मंत्री.]
विजय कुमार दास, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1990

S.O. 355(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and Tenth Amendment Rules, 1990.

(2) They shall deemed to have come into force with effect from the 23rd April, 1990.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

I. in the First Schedule,—

(a) under the heading "14. MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", the sub-heading "(v) DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)", shall be omitted;

(b) under the heading "15. MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", after sub-heading (iv), the following shall be added, namely :—

"(v) Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries (Laghu Udyog aur Krishi evam Grameen Udyog Vibhag)";

(c) under the heading "31. MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)," the following sub-headings shall be added, namely :—

"(i) Department of Welfare (Kalyan Vibhag).

(ii) Department of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Vibhag)";

II. In the Second Schedule,—

(a) under heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", the sub-heading "(e) DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted.

(b) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY",—

(i) under the sub-heading, "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)" entries 26, 27, 28, 38 and 39 shall be omitted.

(ii) under the sub-heading, "D. DEPARTment OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)", entry 1 shall be omitted.

(iii) after the sub-heading, "D. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)", and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be added, namely :—

"E. DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (LAGHU UDYOG AUR KRISHI EVAM GRAMEEN UDYOG VIBHAG).

1. Co-ordination of the Development of small-scale industries :—

(i) Small Industries Board.

(ii) National Small Industries Corporation Ltd.

(iii) Setting up of new industries, for providing employment, in places where there are heavy concentrations of displaced persons from West Pakistan.

2. Village and cottage industries.

3. Coordination of matters relating to Rural Industrialisation.

4. Coir Industry.

5. The Coir Board.";

(c) under the heading "MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKARAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)", after entry 1, the following entry shall be added, namely :—

2. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool".;

(d) for the heading "MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA).

A. DEPARTMENT OF WELFARE (KALYAN VIBHAG)

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :

1. Operation of Indo-US, Indo-UK, Indo-German, Indo-Swiss and Indo-Swedish Agreements for duty free receipt of donated relief supplies|goods and matters connected with the distribution of supplies coming thereunder.

PART II

The following subject which falls within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :

2. Social Security and Social Insurance save to the extent allotted to any other Department.

PART III

For the Union territories, the following subject which falls within List II or List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India, in so far as it exists in regard to such territories :

3. Relief of the disabled and unemployable and measures relating to social security and social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.

PART IV

GENERAL AND CONSEQUENTIAL

4. Social Welfare : Social Welfare Planning, Project formulation, research, evaluation, statistics and training.

5. Conventions with other countries in matters relating to social defence and references from United Nations Organisation relating to prevention of crime and treatment of offenders.

6. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans and orphanages.

7. Education, training, rehabilitation and welfare of the physically and mentally handicapped.

8. National Institute for the Physically Handicapped and Mentally Retarded.

9. National Centre for the Blind including the Central Braille Press, Dehra Dun, Training Centre for the Adult Deaf, and School for the partially deaf children, Hyderabad; Model School for Mentally Retarded Children, New Delhi and other national institutes.

10. Social and Moral Hygiene Programme.

11. Beggary, Juvenile vagrancy, delinquency and other CARE Programmes.

12. Probation of Juvenile offenders.

13. Research, evaluation, training, exchange of information and technical guidance on all social defence matters, including correctional services.

14. All matters relating to prohibition.

15. Educational and social welfare aspects of drug addiction.

16. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.

17. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

18. National Institute of Social Defence.

19. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur (ALIMCO).

20. All other attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

21. Administration of the following Acts :—

(a) Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958); and

(b) Children Act, 1960 (60 of 1960).

22. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, denotified nomadic and semi-nomadic tribes and other Backward Classes including scholarships to students belonging to such Castes, Tribes and Classes.

23. (i) Appointment, resignation etc. of Special Officer for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc., and

(ii) Reports of the Special Officer.

24. Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

NOTE : The Ministry of Welfare will be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination or programmes of development for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry and Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

25. Repotrs of the Commission to Investigate into the conditions of Backward Classes.

26. (i) Scheduled Areas;

(ii) Matters relating to autonomous districts of Assam excluding roads and bridge works and ferries thereon; and

(iii) Regulations framed by the Governors of States for Scheduled Areas and for Tribal Areas specified in Part 'A' of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

27. (i) Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes; and

(ii) Issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.

28. (i) Appointment, resignation etc. of Special Officer for Linguistic Minorities;

(ii) Report of the Special Officer;

(iii) All matters relating to Linguistic Minorities.

29. All matters relating to Minorities Commission.

30. The Wokf Act. 1954 (29 of 1954).

31. Work in respect of Wakf properties under the Administration of Evacue Property Act, 1950 (31 of 1950).

32. Administration of Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

33. Representation of the Anglo-Indian Community.

B DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)

1. Family Welfare.

2. Women and child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.

3. Reference from the United Nations Organisation relating to traffic in women and children.

4. Care of pre-school children.

5. Coordination of National Nutrition Programme, feeding of pre-school children and Nutrition education of women.

6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department

7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

8. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

9. Administration of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (104 of 1956).

10. The Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

11. Coordination of activities of Cooperative American Relif Everywhere (CARE).

12. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare of women and children.

13. United Nations Children's Fund (UNICEF).

14. Central Social Welfare Board (CSWB).

15. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD).".

R. VENKATARAMAN, President

[No. 74|2|1|90-Cab.]

B. K. DAS, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990